



पारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन संख्या/संख्या संख्या: 130416/ 4209

आयोग नियम विधि अधिकारी (राज्य) : गैरतगंज

स्कूल LITTLE FLOWER SCHOOL
GAIRATGANJ

संस्था का प्रकार: नदी, निरंतर मान्यता

सं - 2022-23

सं-सं. दिनांक: 09/04/2022
Signature valid

Digitally signed by: 04 19 2022
Date: 2022.04.09 11:54:15
Reason: I am the issuer of the document

पति

पत्रांक (LITTLE FLOWER SCHOOL GAIRATGANJ)

विषय

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रावधानों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के अधिनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

सही/सही/सही

आपके आवेदन पर दिनांक 11/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से परभावकारी पत्र व्यवहार / निवेदन के अन्तर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के अधिनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

अप्रोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबद्धता में कोई भी बच्चा किसी भी रूप में विद्यार्थी नहीं होगा।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के अंदर समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों की कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। कि दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पदवीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (पी स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 के उपबंध (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध पी-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्राप्ति की जायेगी तथा एवं प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी क्वॉटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
 - o (क) आयु के सबूत के अभाव में,
 - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश पाया गया है,
 - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या पुनर्गम से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - o किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोकना या विस्थापित नहीं किया जाएगा।
 - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
 - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यकता नहीं होगी।
 - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
 - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सम्मिलित किया जाएगा
 - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि जती कि जाएगा बशर्त कि न्यूनतम में कमरेत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रावधान होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, अन्य अधिनियम के प्रावधान होने के अभाव से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करने होंगे।
 - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के अधीन निर्धारित कालावधि का पालन करना होगा।
 - o प्रायवेट टैचिंग कि माता/पिताओं में शिक्षक स्वयं काम नहीं लेगे/लेगी
- स्कूल समूचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में प्रत्येक सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का सामाजिक किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में निर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं प्रावधान बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निर्देशन के समय स्कूल में उचित सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई -